कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक :विधि/2016/31/858 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2016

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक,
   सहकारी संस्थायें,
   समस्त सम्भाग, मध्यप्रदेश
   (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर को छोड़कर)

2. उप/सहायक पंजीयक,
   सहकारी संस्थायें,
   समस्त ज़िले मध्यप्रदेश
   (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर को छोड़कर)

विषय – न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण ।

———

यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में अत्याधिक विलम्ब होने से पीड़ित पक्षकारों को समय पर न्याय सुलभ नहीं हो रहा है । न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र होने से आम जनता में जहां न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ता है वहीं विभाग की छबि भी उज्जवल होती है ।

2. अतः न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

2.1. आपके द्वारा सप्ताह में कम से कम दो दिवस गुरूवार एवं शुक्रवार को अनिवार्यतः न्यायालयीन प्रकरणों में सुनवाई नियत की जावे । यदि उपरोक्त दिनों में कोई शासकीय अवकाश आये तो ऐसी दशा में उसी सप्ताह में अन्य कार्य दिवस में सुनवाई कार्य किया जाये ।

2.2. न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण संयुक्त पंजीयकों द्वारा यथा सम्भाव तीन माह की अवधि में एवं उप/सहायक पंजीयकों द्वारा यथा सम्भव 6 माह की अवधि में किया जावे ।

2.3. प्रकरणों में तिथियों के निर्धारण में यह सावधानी बरती जावे कि प्रकरण में आगामी तिथि दो सप्ताह से अधिक न हो ।

2.4. पक्षकारों को विधिवत सूचना प्राप्त होने की स्थिति में सतत् रूप से संबंधित पक्षकार के अनुपस्थित रहने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लिये जाने संबंधी कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित की जावे ।

2.5. संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 35 एवं संभागीय जिलों के उप पंजीयक द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 20 तथा अन्य जिलों के उप/सहायक पंजीयक न्यायालय द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 25 प्रकरणों का अन्तिम निराकरण किया जावे ।

2.6. सप्ताह में एक अथवा दो दिवस न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय आदि लिखवाने एवं अन्य कार्य के लिये आरक्षित किये जायें ।

2.7. आदेशिका पर प्रकरण **"निर्णय हेतु सुरक्षित"** अंकित न किया जावे अपितु निर्णय देने का दिनांक अंकित किया जावे । ऐसी दिनांक 15 दिवस से अधिक की न हो ।

2.8. एक वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों में दैनिन्दन आधार पर तिथियों का निर्धारण किया जाकर दिन–प्रतिदिन सुनवाई करते हुये प्रकरण का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

2.9. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा प्रत्येक माह में पारित आदेशों की एक प्रति मुख्यालय की विधि शाखा को भिजवायेंगे ।

2.10. निराकृत न्यायालयीन प्रकरणों की मासिक जानकारी का प्रेषण संलग्न प्रारूप में मुख्यालय की विधि शाखा को प्रत्येक माह 5 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

वर्ष में आपके द्वारा किये गये अन्य कार्यों के साथ–साथ न्यायालयीन कार्य के आधार पर गोपनीय चरित्रावली में मतांकन किया जायेगा ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी का प्रारूप

माह ..... वर्ष .....

न्यायालय का नाम– .....

क्रमांक	अधिनियम की धारा–	माह के प्रारम्भ में शेष प्रकरण	माह में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	माह में निराकृत प्रकरण	मासान्त पर शेष प्रकरण					
					0 से 3 माह के शेष प्रकरण	3 से 6 माह के शेष प्रकरण	6 से 12 माह के शेष प्रकरण	12 से 24 माह के शेष प्रकरण	24 माह से अधिक के शेष प्रकरण	कुल शेष प्रकरण (कॉलम नं0 6 से 10 का योग)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	55(2),									
2.	64,									
3.	84(1),									
4.	58(बी),									
5.	78,									
6.	80(क),									
7.	अन्य									
	योग–									

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक :विधि/2016/31/859 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2016

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक, (न्यायिक)
   सहकारी संस्थायें,
   भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर ।

2. उप पंजीयक, (न्यायिक)
   सहकारी संस्थायें,
   भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर ।

विषय – न्यायालयीन प्रकरणो का निराकरण ।

———

न्यायालयीन प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके, इस उद्देश्य से आपके सम्भाग/ज़िले में पृथक से न्यायालय की स्थापना की गई थी । यह देखने में आ रहा है कि इन न्यायालयों की स्थापना के बाद भी न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब हो रहा है । न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र होने से आम जनता में जहां न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ता है वहीं विभाग की छबि भी उज्जवल होती है ।

2. अतः न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

2.1. आपके द्वारा सप्ताह में कम से कम चार दिवस क्रमशः सोमवार, मंगलवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को अनिवार्यतः न्यायालयीन प्रकरणों में सुनवाई नियत की जावे । यदि उपरोक्त दिनों में कोई शासकीय अवकाश आये तो ऐसी दशा में उसी सप्ताह के अगले रिक्त कार्य दिवस में सुनवाई कार्य किया जाये ।

2.2. न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण संयुक्त पंजीयक द्वारा यथा सम्भव तीन माह की अवधि में एवं उप पंजीयक द्वारा यथा सम्भव 6 माह की अवधि में किया जावे ।

2.3. प्रकरणों में तिथियों के निर्धारण में यह सावधानी बरती जावे कि प्रकरण में आगामी तिथि दो सप्ताह से अधिक न हो ।

2.4. पक्षकारों को विधिवत सूचना प्राप्त होने की स्थिति में सतत् रूप से संबंधित पक्षकार के अनुपस्थित रहने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लिये जाने संबंधी कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित की जावे ।

2.5. संयुक्त पंजीयक(न्यायिक) न्यायालय द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 60 तथा उप पंजीयक (न्यायिक) न्यायालय द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 40 प्रकरणों का अन्तिम निराकरण किया जावे ।

2.6. सप्ताह में एक अथवा दो दिवस न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय आदि लिखवाने एवं अन्य कार्य के लिये आरक्षित किये जायें ।

2.7. आदेशिका पर प्रकरण **"निर्णय हेतु सुरक्षित"** अंकित न किया जावे अपितु निर्णय देने का दिनांक अंकित किया जावे । ऐसी दिनांक 15 दिवस से अधिक की न हो ।

2.8. एक वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों में दैनिन्दन आधार पर तिथियों का निर्धारण किया जाकर दिन–प्रतिदिन सुनवाई करते हुये प्रकरण का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

2.9. संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) एवं उप पंजीयक (न्यायिक) प्रत्येक माह में पारित आदेशों की एक प्रति मुख्यालय की विधि शाखा को भिजवायेंगे ।

2.10. निराकृत न्यायालयीन प्रकरणों की मासिक जानकारी का प्रेषण संलग्न प्रारूप में मुख्यालय की विधि शाखा को प्रत्येक माह 5 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

उक्तानुसार वर्ष में आपके द्वारा किये गये न्यायालयीन कार्य के आधार पर गोपनीय चरित्रावली में मतांकन किया जायेगा ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी का प्रारूप

माह ..... वर्ष .....

न्यायालय का नाम– .....

क्रमांक	अधिनियम की धारा–	माह के प्रारम्भ में शेष प्रकरण	माह में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	माह में निराकृत प्रकरण	मासान्त पर शेष प्रकरण					
					0 से 3 माह के शेष प्रकरण	3 से 6 माह के शेष प्रकरण	6 से 12 माह के शेष प्रकरण	12 से 24 माह के शेष प्रकरण	24 माह से अधिक के शेष प्रकरण	कुल शेष प्रकरण (कॉलम नं0 6 से 10 का योग)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	55(2),									
2.	64,									
3.	84(1),									
4.	58(बी),									
5.	78,									
6.	80(क),									
7.	अन्य									
	योग–									